किस्म मुकदमा – अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण सं.09/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
06.05.2026	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित । पैरोकार सरकार उपस्थित । प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गयी । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुए ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षी सं. 01 लगायत 10 प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की चरण सं. 02 मे वर्णित सरहद ग्राम बोरड़ा पटवार हल्का गठीलाखेड़ा भू.अभिलेख क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा मे आराजी सं. 443/1,443/4,443/6 कुल किता 3 कुल रकबा1.2012 हेक्टेयर भूमि से जबरन शक्ति के बल से बेदखल नही करे व प्रार्थी को शान्तिपूर्वक ढंग से उपयोग-उपभोग करने देवे तथा विपक्षी सं.01 लगायत 10 वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन , विक्रय , हस्तान्तरण / खुर्द बुर्द नही करे व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । विपक्षी सं.01 लगायत 10 द्वारा वादग्रस्त आराजी के रहन विक्रय/हस्तान्तरण सम्बन्धी दस्तावेज विपक्षी सं.12 के यहां प्रस्तुत करने पर पंजीयन नही करे व विपक्षी सं.11 राजस्व रिकार्ड मे कोई परिवर्तन नही करे । तथा प्रार्थी को शान्तिपूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे व किसी प्रकार का अवैध निर्माण आदि नही कर वादग्रस्त भूमि के वर्तमान स्वरूप मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे । प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया विधि का अनुशीलन किया गया । वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है जिसमे प्रत्येक ईन्च का प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त है । प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे अन्य सहखातेदारो द्वारा विधि विरूद्ध किसी प्रकार का कृत्य कारित किये जाने को साबित करने में असफल रहा है । एक सहखातेदार के विरूद्ध अन्य खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद बावत् विभाजन आराजीयात् एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नही ठहरता है । अत: प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है ।पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो । 6/5/26 सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा	